सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1045 राँची, सोमवार, 26 नवम्बर, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

22 नवम्बर, 2018

विषय :- मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुवा की तरह राज्य के अन्य परगणैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को सम्मान राशि देने की स्वीकृति।

संचिका सं०-6/मानकी मुण्डा-277/2018-4654/रा०-- वर्तमान में प० सिंहभूम जिला के मानकी, मुण्डा एवं डाकुवा तथा संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के ग्राम प्रधानों को प्रतिमाह सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है । सम्मान राशि के रूप में मानकी को 3000/-, मुण्डा एवं ग्राम प्रधान को 2000/- एवं डाकुवा को 1000/-रू० प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है । मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुवा की कुल संख्या क्रमशः 74, 907, 6114 एवं 1022 है ।

2. मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुवा के समरूप कार्य करने वाले विभिन्न नामों से प्रचलित लोगों की सूची उपायुक्तों से प्राप्त हुई है । यह सूची उन लोगों से संबंधित है, जो छोटानागपुर

काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एवं पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्य कर रहे हैं ।

3. पश्चिम सिंहभूम जिला के मानकी, मुण्डा, ग्राम प्रधान एवं डाकुवा की भाँति अन्य परगणैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार के नाम से कार्यरत, जो निम्न कार्यों का निर्वहन करते हैं:-

i. **मानकी -** मुण्डा स्तर पर जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है उस कार्य को मानकी द्वारा निपटाया जाता है। तथा अग्रेतर कार्यवाई हेतु थाना एव प्रशासन के समक्ष अग्रसारित करना आदि।

ii. **मुण्डा -** ग्रामसभा करना, छोटी-छोटी समस्या को ग्राम स्तर पर ही निपटारा करना आदि। खुटकट्टी क्षेत्र में इनके द्वारा भू-लगान की वसूली भी की जाती रही है।

iii. **ग्राम प्रधान** - ग्राम-प्रधान की अध्यक्षता 2. लगान वसूली 3. सरकारी भूमि की देखरेख एवं अन्य कार्य।

iv. **डाकुवा -** मुण्डा द्वारा ग्राम सभा आमंत्रित किये जाने के पश्चात डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचना देना आदि।

v. **परगणैत** - प्रधान के कार्य में मार्गदर्शन करना। अपने क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विवादों का पंचायत द्वारा निपटारा करना।

vi. **पराणिक -** ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान का कार्य सम्पन्न करना।

vii. **जोगमांझी -** ग्रामीण कार्य जैसे शादी त्यौहार को सम्पन्न कराने में गांव का अविवाहित नौजवान की देखरेख करना।

viii. **नायकी -** ग्राम का सार्वजनिक पूजा-पाठ को सम्पन्न करना।

ix. **कुड़ाम नायकी** - नायकी की अनुपस्थिति में नायकी का कार्य पूरा करना।

x. **गोड़ैत** - पंचायती के लिये ग्रामीणों को सूचना देना।

xi. **मूल रैयत** - रेकर्ड ऑफ राईट के अंतर्गत आने वाले रैयत मूल रैयत कहलाते हैं।

xii. **पड़हा राजा** - समाजिक विधि व्यवस्था का संधारण।

xiii. **ग्राम सभा का प्रधान** - ग्राम सभा की अध्यक्षता करते है ।

xiv. **घटवाल एवं तावेदार** - प्रत्येक सरदार, घटवाल को अपने-अपने नायक और पायक घटवालों के काम का निरीक्षण करना होता है। हर महीने की पहली चौकीदारी पैरेड के रोज थाना में हाजिर होना होता है और प्रति सप्ताह की डाक डायरी दारोगा के पास भेजना होता है। सरदार अपने इलाके की आकस्मिक मृत्यु के बारे में तलाश कर थाने में रिपोर्ट करते हैं। कोई सन्देह रहने पर पुलिस, दारोगा के उक्त स्थान पर पहुंचने के समय तक मृतक शरीर की रक्षा करते हैं। अधिकार मिलने पर सरदार चोरी के माल की खाना तालाशी करते हैं और किसी अभियुक्त के नाम से वारन्ट निकलने पर उसको गिरफ्तार कर थाना में भेज देते हैं। सरदार डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा के बिना एक सप्ताह से अधिक इलाके से गैरहाजिर नहीं रहेगा और सात दिनों तक

या उससे कम गैरहाजिर होने के लिये अपनी जगह में एक नायक को रख कर थाना में खबर करते हैं। प्रत्येक सरदार अपने इलाके के घटवाली वीट घर को साफ रखते हैं, और घटवाली जमीन की सीमा सुरक्षित रखना होता है। सरदार अपने इलाके में शान्ति, रक्षा करेगा और दूसरों को सरकारी काम में सहायता देगा।

हर एक नायक घटवाल सरदार के इलाके में प्रति सप्ताह कम से कम एक बार गस्ती करेगा और सरदार के पास रिपोर्ट करेगा। हर महीने में दो बार पहली और तीसरी चौकीदारी पैरेड के दिन थाना में हाजिरी देगा। नायक घटवाल अपने पाईक के काम का देख भाल करेगा और किसी बड़े अफसर के अपने सरदार के इलाके में आने पर उनके पास हाजिर होगा।

हर एक पाईक घटवाल हफ्ते में एकबार थाना में हाजिरी देगा। जो पाईक थाने से 12 मील से अधिक दूरी पर रहते हैं, वे प्रत्येक महीने में केवल दो बार हाजिरी देंगे। प्रत्येक पायक किसी बड़े सरकारी अफसर के अपने सरदार के इलाके में आने पर उनके पास हाजिर होगा।

4. विभिन्न उपायुक्तों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 86 मानकी, 6986 ग्राम प्रधान, 1206 मुण्डा, 1482 डाकुवा, 194 परगणैत, 1824 पराणिक, 2172 जोगमांझी, 1740 कुड़ाम नायकी, 2188 नायकी, 2505 गोड़ैत, 377 मूल रैयत, 16 पड़हा राजा, 6198 ग्राम सभा का प्रधान, 22 घटवाल एवं 47 तावेदार हैं, जिन्हें सम्मान राशि सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

5. अतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रति मानकी को प्रतिमाह रूपये 3000, प्रति ग्राम प्रधान को प्रतिमाह रूपये 2000, प्रति मुण्डा को प्रतिमाह रूपये 2000, प्रति डाकुवा को प्रतिमाह रूपये 1000, प्रति परगणैत को प्रतिमाह रूपये 1000, प्रति पराणिक को प्रतिमाह रूपये 1000, प्रति जोगमांझी को प्रतिमाह रूपये 1000, प्रति कुड़ाम नायकी को प्रतिमाह रूपये 1000, प्रति नायकी को प्रतिमाह रूपये 1000, प्रति गोड़ैत को प्रतिमाह रूपये 1000, मूल रैयत को 1000, पड़हा राजा को 1000, ग्राम सभा का प्रधान को 1000, घटवाल को 1000 एवं तावेदार को 1000 रू0 मात्र की राशि प्रतिमाह सम्मान राशि के रूप में भुगतान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 5 नवम्बर, 2018, के मद सं०-15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार राय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1045 -- 50